

अपर समाहर्ता का न्यायालय, बोकारो।

एल0सी0 अपील वाद संख्या.....03.../2008

(विशुन महतो एवं अन्य बनाम् भगिया देवी एवं अन्य)

की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

13-10-2022

प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) न्यायालय का भू-हदबंदी वाद-05/2008-09 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.10.2008 के विरुद्ध विशुन महतो एवं अन्य, पिता-स्व० बुधन महतो, सा०-घोसको, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।

विवादित भूमि मौजा घोसको, खाता नं०-2 प्लॉट नं०-27, रकवा-0.17 एकड़, प्लॉट सं०-29, रकवा-0.25 एकड़ तथा प्लॉट सं०-31, रकवा-0.15 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलवाद दायर किया गया है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी विशुन महतो एवं अन्य तथा प्रतिपक्षी श्रीमती भगिया देवी एवं अन्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आवेदन अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से दिया गया है, जिसमें वर्णित है कि "इस वाद में दोनों पक्षों की ओर से आपसी समझौता हो चुका है। इस कारण इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।"

इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि पक्षकार की ओर से आपसी समझौता हो गया है और इस वाद में अन्य कोई विवाद नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उभय पक्ष उक्त वाद को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वाद को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गये संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सुलहनामा आवेदन के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
बोकारो।

अपर समाहर्ता,
बोकारो।